छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 74/2008</u>

1. **श्री इंदरचन्द सोनी,** – *अपीलार्थी*
सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 14 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.09.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर नियत समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.11.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहाँ भी सुनवाई नही होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.01.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील आवेदन विलंब से प्राप्त होने के बाद नोटिस जारी किया था, अतः उन्हें यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में वे अपने कार्यालय में अपीलों के प्रस्तुतीकरण एवं सुनवाई के संबंध में अधिनियम के तहत् व्यवस्था ठीक करावे, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई एवं निराकरण हो सके । प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दूरभाष पर मौसम खराब होने के कारण असमर्थता बतायी थी और दोबारा सुनवाई की तारीख पर पुनः स्वास्थ्य खराब होने पर पुनः असमर्थता बताई थी । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि बिन्दु कमांक 01 से 19 तक में बिन्दु कमांक 01 से 10 तक व बिन्दु कमांक 19 की जानकारी दिनांक 30.10.2007 को दे दी गई थी और बिन्दु कमांक 11 से 18 की जानकारी दुर्ग से संबंधित होने के कारण वहाँ अंतरित कर दी गई थी । जहाँ तक दुर्ग की जानकारी का प्रश्न है, जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि शुल्क जमा कराने के लिए निर्देश दिये गये थे, किन्तु अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नही करते हुए जानकारी के अवलोकन का

निवेदन किया और अवलोकन के लिए बाद में उपस्थित नही हुये । अपीलार्थी द्वारा माँगी गई जानकारी काफी विस्तृत बताई गई है, जो क्रमश: 9277 एवं 3773 पृष्ठ की है, अत: उपरोक्त स्थिति में उनकी प्रतिलिपियाँ नि:शुल्क दिलाया जाना संभव नही है, किन्तु अब नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा उनके दुर्ग स्थित अधिकारी दोनो को यह निर्देश दिये जाते हैं कि चाही गई संबंधित शेष जानकारी का अपीलार्थी को एक सप्ताह में नि:शुल्क निरीक्षण करा दिया जावे तथा उसमें से बाद में जो जानकारी वे चाहे और उनकी सूची दे, उसमें से राशि 100/- रूपये तक की जानकारी उन्हें नि:शुल्क दी जावे तथा शेष जानकारी वे चाहे तो शुल्क लेकर दी जावे । प्रकरण में परिस्थिति को देखते हुए किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त